भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1965

शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1965 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की स्थापना से लेकर अब तक इसके अंतर्गत उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के लिए जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस योजना में प्रारंभिक रूप से शामिल 21 मंत्रालयों के अतिरिक्त किन्हीं नए मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया गया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) : सरकार ने विभिन्न आर्थिक जोन में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरूआत की है। पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्रौद्योगिकी समर्थित जीआईएस प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत आयोजना, समन्वित कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी के लिए आंकड़ा आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है। निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एनएमपी पर, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासन के 1300 से अधिक डाटा लेयर्स को अपलोड किया गया है। नेटवर्क प्लानिंग समूह (एनपीजी) के स्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों की अवसंरचना परियोजनाओं की व्यापक प्लानिंग को एनएमपी सक्षम बनाया गया है। एनपीजी ने अब तक 43 बैठकें आयोजित की हैं जिनमें लगभग पांच लाख करोड़ की राशि के 66 अवसंरचना परियोजनाओं को अवसंरचना कनेक्टिविटी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के गतिशक्ति के इष्टतम सिद्धांतों के अनुकूल बनाने के लिए मूल्यांकन किया गया है।

थोक वस्तुओं जैसे कोयला, स्टील, उर्वरकों, खाद्य अनाजों की आवाजाही में पत्तनों से विकट कनेक्टिविटी अंतराल की पहचान भी की गई है। केन्द्रीय बजट 2023-24 में, 100 ऐसी विकट अवसरंचना गैप परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, 13 सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों में सुधार करने के लिए एनएमपी पोर्टल पर शामिल किया गया है।

(ख) : पीएम गतिशक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है न कि एक स्कीम है। इसलिए इसके तहत कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है। हालांकि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2022 को "वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम" से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्कीम के भाग-II का उद्देश्य राज्यों में पीएम गतिशक्ति संबंधी निवेश में सहायता करना है। स्कीम के भाग-II के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है जो सभी राज्यों को आवंटित कर दी गई है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, नीति आयोग के अलावा, 36 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग पीएम गतिशक्ति का हिस्सा है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. रेल मंत्रालय; 2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; 3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; 4. नागर विमानन मंत्रालय; 5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; 6. विद्युत मंत्रालय; 7. दूर संचार विभाग; 8. कोयला मंत्रालय; 9. खान मंत्रालय; 10. रसायन और पेट्रो रसायन मंत्रालय; 11. उर्वरक विभाग; 12. इस्पात मंत्रालय; 13. आर्थिक कार्य विभाग; 14. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्या1पार विभाग; 15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग; 16. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; 17. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय; 18. पर्यटन मंत्रालय; 19. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; 20. वाणिज्य विभाग; 21. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; 22. राजस्व विभाग; 23. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

सामाजिक क्षेत्र संबंधी 13 मंत्रालय सम्मिलित हैं: (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, (2) संस्कृति मंत्रालय, (3) महिला और बाल विकास मंत्रालय, (4) युवा कार्यक्रम विभाग, (5) खेल विभाग, (6) जनजातीय कार्य मंत्रालय, (7) ग्रामीण विकास मंत्रालय, (8) डाक विभाग, (9) पंचायती राज मंत्रालय (10) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (11) उच्च शिक्षा विभाग (12) आयुष मंत्रालय (13) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

*****